संक्षिप्त समाचार

ठगी करने का आरोपी गिरफ्तार

नूंह, 29 सितंबर, सत्यजय टाईम्स/राजीव प्रजापति। पुन्हाना अपराध जांच शाखा पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से एक मोबाइल फोन और सिम बरामद किया है। निरीक्षक संदीप मोर प्रभारी अपराध जांच शाखा पुन्हाना ने बताया कि गुरुवार को उनकी टीम गस्त पर बस अड्डा पुन्हाना मौजूद था। उसी समय गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि मुस्तकीम उर्फ समीर पुत्र शेर मौहम्मद निवासी झाडपुरी पिनगवां फर्जी फेसबुक अकाऊंट पर सस्ते में मोबाईल फोन सहित अन्य वस्तुएं बेचने की ऐड डालकर लोगों को अपने झांसे में लेकर धोखाधडी करके एडवांस रुपए अपने फर्जी फोन-पे वा गूगल पे अकांउट डलवाकर आनलाईन ठगी करता है। जो आज शिकरावा मोड पर गांव जाने के लिये सवारी के इंतजार में खडा है। जिस सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को काबू किया। तलाशी लेने पर उसके कब्जा से एक मोबाईल फोन सिम सहित बरामद हुआ। फोन की जांच करने पर फोन में फेसबुक एप पर फर्जी फेसबुक अकांउट, फ्राड करने के सबंध में संदिग्ध चैटिंग, संदिग्ध आनलाईन लेन-देन वा ऑडियो कॉल इत्यादि मिला। पूछताछ में आरोपी मुस्तकीम उर्फ समीर ने अपना जुर्म स्वीकार किया। आरोपी मुस्तकीम उर्फ समीर को न्यायालय में पेश करके जेल भेजा गया है।

रमेश बिधूडी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन

नूंह, 29 सितंबर, सत्यजय टाईम्स/ब्यूरो। नूंह से जेजेपी के पूर्व प्रत्याशी एवं पूर्व जिला अध्यक्ष तैयब हुसैन घासेडिया की अगुवाई में शुक्रवार को नूंह जिला मुख्यालय पर भाजपा सांसद रमेश बिधूडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

किया। इस दौरान पैदल मार्च करते हुए जिला सचिवालय में पहुंच कर जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए सांसद रमेश बिधूडी पर कार्रवाई करने की मांग की। तैयब हुसैन घासेडिया ने कहा कि लोकसभा में भाजपा सांसद रमेश बिधूडी द्वारा बोले गए अपशब्द को लेकर सरकार को सांसद पर कड़ी कार्रवाई करने चाहिए थी, लेकिन सरकार द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। जबकि ऐसे सांसद की सदस्यता को खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने बहुत अपमानजनक टिप्पणी की है। सांसद ने बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल कर बुरा बर्ताव किया है। ऐसे सांसद पर देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। उन्होंने कहा भाजपा सांसद के खिलाफ क्षेत्र में भारी रोष है। भाजपा सांसद रमेश बिधूडी के बोले बयानों को लेकर ही विरोध प्रदर्शन किया गया।

अधिकारियों ने घरौंडा नगर पालिका का किया दौरा

घरौंडा, 29 सितंबर, सत्यजय टाईम्स/प्रवीण कौशिक। बुढ़ापा विधवा व विकलांग पेंशन बनवाने में आ रही दिक्कतों का समाधान करने को लेकर

जिला समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने आज घरौंडा नगर पालिका का दौरा किया। मौके पर आए कुछ पात्र लाभार्थियों को उन्होंने पेंशन के दस्तावेज भी सौंपे। जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्यवान ढिल्लों ने नगर पालिका पहुंचकर नपा अध्यक्ष व मौजूद पार्षदों से उनके वार्डो में बुढ़ापा विधवा व विकलांग व्यक्तियों के बारे में जानकारी ली। और बताया कि किस प्रकार से पात्र व्यक्तियों की पेंशन मिल सकती है। नगर पालिका में जिला समाज कल्याण अधिकारी के आने की सूचना पाकर बड़ी मात्रा में बुजुर्ग अपने अपने दस्तावेज लेकर नगर पालिका कार्यालय पहुंच गए। और करीब 2 घंटे तक उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी को अपने दस्तावेज दिखाई।समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि पात्र व्यक्तियों की पेंशन न बनने का एक बड़ा कारण यह है कि जरूरी दस्तावेज में उनके आयु प्रमाण पत्र सही नहीं होते। और ने ही उन आवेदन करता द्वारा अपने आवेदन करते समय अपने सही मोबाइल नंबर व बैंक डिटेल भरी होती है जिसके चलते उनके एप्लीकेशन पर किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो मोबाइल नंबर सही में होने के कारण सही जानकारी उन तक नहीं पहुंच पाती और आवेदन ऐसे ही पेंडिंग में पड़े रहते हैं। उन्होंने बताया कि आज करीब 100 आवेदन उनके पास आए हैं जिनमें से 50 से ज्यादा आवेदन कर्ताओ की पेंशन शीघ्र ही बांधकर उनको सूचनायें भिजवा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार हर पात्र व्यक्ति को पेंशन दे रही है। दस्तावेजों में कोई त्रुटि वह आयु संबंधी प्रमाण ने मिलने के कारण कुछ आवेदन करता की पेंशन नहीं बन पाती इसके लिए आज नगर पालिका में इस प्रकार का कार्यक्रम रखा गया है। नपा अध्यक्ष हैप्पी गुप्ता ने बताया कि शहर में पेंशन संबंधी लोगों की दिक्कतों को देखते हुए नगर पालिका हाउस ने यह निर्णय लिया है कि माह में दो बार समाज कल्याण अधिकारी या उसके स्टाफ को घरौंडा नगर पालिका में बैठाया जाएगा ताकि लोगों को पेंशन संबंधी किसी प्रकार की समस्या न आए और न ही लोगों को पेंशन के लिए करनाल चक्कर काटने पड़े।

गुरु-शिष्य परंपरा प्रशिक्षण योजना के तहत प्रदान की जाएगी छात्रवृत्ति

पलवल, 29 सितंबर, सत्यजय टाईम्स/ब्यूरो। उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि लुप्त होती संस्कृति को जीवंत रखने के लिए उत्तर भारत मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला द्वारा गुरु-शिष्य परंपरा प्रशिक्षण योजना-2023-24 शुरू की गई है, जिसमें पेंशन व छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत राज्य से लुप्त होती सभी विधाओं में शास्त्रीय एवं लोक संगीत, मार्शल आर्ट, लोक थियेटर एवं दृश्य कला इत्यादि विधा के गुरुओं के नाम, पता व दूरभाष नंबर सहित सूची मांगी गई है।

गुरु के लिए आवेदनकत्र्ता की आयु 50 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कला एवं संस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी अनुसार गुरू-शिष्य योजना के तहत आवेदनकर्ता गुरु की आयु 50 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और उनके पास संबंधित विधा क्षेत्र में कम से कम 20 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। इस योजना के तहत चयनित गुरु व शिष्यों को उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिसमें गुरु को 7 हजार 500 रुपए प्रतिमाह, संगीतकार को 3 हजार 750 रुपए प्रतिमाह व शिष्यों को 1 हजार 500 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति के रुप में प्रदान किए जाएंगे। विभाग द्वारा दी गई शर्तों को पूरा करने वाले जिला पलवल से गुरु व शिष्य जल्द से जल्द पुराना कोर्ट परिसर में स्थित जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय पलवल में अपनी-अपनी विधा के अनुभव प्रमाण-पत्रों सहित अपना नाम भेज सकते हैं।

के.जी.पी. पर टूव्हीलर, थ्रीव्हीलर व ट्रैक्टर वाहनों का चलाना है प्रतिबंधित : एसडीएम

पलवल, 29 सितंबर, सत्यजय टाईम्स/लक्ष्मन शर्मा। एसडीएम शशि वसुंधरा ने कहा कि ईस्टर्न पेरिफिरल एक्सप्रेस-वे (के.जी.पी.) पर टूव्हीलर, थ्रीव्हीलर और ट्रैक्टर जैसे वाहनों का चलना प्रतिबंधित है। एक्सप्रेस-वे के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का पुलिस चालान करेगी।

एसडीएम शशि वसुंधरा ने शुक्रवार को जिला सचिवालय के द्वितीय तल पर स्थित सभागार में सडक सुरक्षा समिति तथा सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। एसडीएम ने सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत अब तक की गई कार्यवाही की भी समीक्षा की।

सडक पर गलत साइड चलने, दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट न लगाने, सीट बेल्ट का प्रयोग न करने, शराब पीकर गाडी चलाने तथा वाहन चलाते समय फोन पर बात करने आदि सडक दुर्घटना का कारण बनते हैं। सडक दुर्घटनाओं में और भी कमी लाने के लिए इस प्रकार के वाहनों के अधिक से अधिक चालान किए जाएं। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां पर सडक क्षतिग्रस्त है, वहां पर पैच वर्क का कार्य किया जाए तथा जहां साइन बोर्ड नहीं लगे वहां साइन बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक को सुचारू चलाने के लिए सडक मार्गो से अतिक्रमण को हटाया जाए। एक्सप्रेस-वे तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर मेजर कट दुर्घटना का कारण बनते हैं, इसलिए ऐसे कटों को चिन्हित कर तुरंत बंद किया जाए।

सडक सुरक्षा समिति तथा सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी की समीक्षा बैठक मे अधिकारियों संबोधित करतीं एसडीएम शशि वसुंधरा। छाया: सत्यजय टाईम्स/ब्यूरो।

एसडीएम शशि वसुंधरा ने कहा कि दुर्घटना स्थलों पर एम्बुलेंस को निर्धारित रिस्पोंस टाइम पर पहुंचने, राष्ट्रीय राजमार्ग सहित मुख्य सडक मार्गों पर अवैध कटो को बंद करने, मॉडल स्ट्रेच, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान करने, शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग सहित अन्य मुख्य मार्गों से होर्डिंग्स तथा ढाबों को हटवाने, स्पीड ब्रेकर इत्यादि की समीक्षा की।

बैठक में आरटीए जितेश कुमार ने सडक सुरक्षा के लिए किए जा रहे कार्यों, प्रबंधों तथा सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के कार्यान्वयन के संदर्भ में आवश्यक जानकारी व विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने एसडीएम को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा बैठक में दिए गए सभी दिशा-निर्देशों की अनुपालना हर हाल में सुनिश्चित की जाएगी।

इस अवसर पर एसडीएम लक्ष्मी नारायण, एसडीएम रणबीर सिंह, नगराधीश द्विजा, उप पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह मोर, जिला रैडक्रॉस सोसायटी के सचिव वाजिद अली, लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता नरेंद्र यादव, डीआरएम मुधबाला, एचएसएएमबी से एसडीओ देवेन्द्र सिंह सहित नगर परिषद, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

महिलाओं को पुरस्कारों से किया जाएगा सम्मानित : डीसी

पलवल, 29 सितंबर, सत्यजय टाईम्स/लक्ष्मन शर्मा। उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाली महिलाओं से राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए आगामी 20 नवंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा प्रतिवर्ष विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं को अनेक प्रकार के पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है और यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को प्रदान किए जाते हैं। उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि इन पुरस्कारों में इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार के तहत 1 लाख 50 हजार रुपए एवं प्रशस्ति पत्र, कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र, बहन शन्नों देवी पंचायती राज पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र, लाइफ टाइम अचिवर्स पुरस्कार के तहत 51 हजार रुपए तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया किया जाता है। इसके अतिरिक्त एएनएम/महिला एमपीएचडब्ल्यू (दो पुरस्कारों) के तहत 21 हजार रुपए व प्रशस्ति पत्र, महिला खिलाड़ी पुरस्कार के तहत 21 हजार रुपए व प्रशस्ति पत्र, सरकारी कर्मचारी के तहत 21 हजार रुपए व प्रशस्ति पत्र और सामाजिक कार्यकर्ता (2 पुरस्कार) के तहत 21 हजार रुपए व प्रशस्ति पत्र तथा महिला उद्यमी (दो पुरस्कार) के तहत 21 हजार रुपए व प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी नुपुर ने बताया कि इन पुरस्कारों के लिए आवेदन 20 नवंबर तक जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय या उपायुक्त कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं।

आओ हम सब मिलकर स्वच्छता की ओर एक कदम बढाएं : जितेंद्र कुमार

पलवल, 29 सितंबर, सत्यजय टाईम्स/ब्यूरो। जिला परिषद पलवल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 1 अक्तूबर को जिला पलवल की सभी ग्राम पंचायत में सरपंचों व सभी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जिला स्तर, खंड स्तर व ग्राम स्तर पर 296 स्थानों पर एक साथ एक घंटा श्रमदान किया जाएगा। यह स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक होगा। यह कार्यक्रम पूरे देश में चलाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जिला पलवल के सभी विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। स्वच्छता एक दिन का कार्य नही है अपितु यह हमारी प्रतिदिन की दिनचर्या है। उन्होंने जिला की सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं से आह्वान किया है कि स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत अपने निश्चित क्षेत्र में स्वच्छता की एक मुहिम चलाएं, जिसमें आम जनमानस की अधिक से अधिक भागीदारी हो। हम आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा समाज प्रदान करें, जो स्वच्छ हो, साफ हो, सुंदर हो और समृद्ध हो। आओ हम सब मिलकर स्वच्छता की ओर एक कदम बढाएं, पलवल जिला को स्वच्छ बनाएं।

न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी, होडल।

1, रणवीर, 2 गनेश पुत्रान गोविन्दलाल पुत्र प्यारेलाल निवासीगण गांव बंचारी, तहसील होडल जिला पलवल।

प्रार्थीगण

बनाम

1 वीरपाल 2 कल्लू 3 लाला पुत्रान सफदा पुत्र जसमत,4 सुक्खी पुत्र जसमत पुत्र लालाराम,5 इंद्रवती पुत्री, 6 गिर्राज पुत्र रामजीलाल पुत्र मोहर सिंह,7 अमरसिंह, 8 विरेन्द्र पुत्रान हरिसिंह पुत्र मोहर सिंह, 9 विजेंद्र,10 दरयाब पुत्रान मोहर सिंह पुत्र लालाराम,11 नेपाल 12 गुलाब 13 दीपक 14 देशराज पुत्रान,15 मुखन विधवा हरफूल पुत्र मोहर सिंह पुत्र लालाराम,16 नगीना,17 हरि सिंह पुत्रान मोहर सिंह पुत्र लालाराम 18 रामभेजी 19 सुखवती 20 अमरवती पुत्रीयान मोहर सिंह पुत्र लालाराम,21 योगेंद्र, 22 यशपाल पुत्रान प्रताप पुत्र मोहर सिंह, 23 प्रीति 24 वर्षा 25 नेहा पुत्रीयान 26 श्रीमती लक्ष्मी पत्नी प्रताप पुत्र मोहरसिंह 27 माया देवी पत्नी टीकाराम पुत्र गिर्राज 28 चंद्रवती पत्नी नारायण पुत्र गिर्राज, 29 ज्ञानवती पत्नी पूरण सिंह, 30 स्वण सिंह, 31 ओमप्रकाश पुत्रान मानसिंह पुत्र जसमत सभी निवासीगण गांव बंचारी, तहसील होडल जिला पलवल,32 श्रीमती कमला देवी पत्नी कन्हैयालाल पुत्र नत्थी निवासी गांव खेड़ी कला तहसील बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद।

प्रतिप्रार्थीगण

परवाना बनाम सत्यजय टाइम्स।

उपरोक्त विषय पर आपको भेजकर लिखा जाता है कि यह सभी प्रतिप्रार्थीगणों की मार्फत सार्वजनिक द्वारा सूचित करें कि तकसीम की बाबत मेरे न्यायालय में दिनांक 31,10,2023 को हाजिर आयें, ना आने की सूरत में उनके विरुद्ध यकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। अखबार की प्रति इस न्यायालय में भेजे।

सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी होडल जिला पलवल।

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE STOCK EXCHANGES IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("**SEBI ICDR REGULATIONS**").

PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Please scan the QR code to view the DRHP)

DEE piping systems

DEE DEVELOPMENT ENGINEERS LIMITED

Our Company was originally incorporated as "DE Development Engineers Private Limited" a private limited company under the Companies Act, 1956 through a certificate of incorporation dated March 21, 1988, issued by the Registrar of Companies, N.C.T of Delhi and Haryana at New Delhi, ("**RoC**"). Thereafter, the name of the Company was changed to "DEE Development Engineers Private Limited" pursuant to a Board resolution dated September 28, 1997 and a special resolution passed in the general meeting of the Shareholders held on October 22, 1997 and consequently a fresh certificate of incorporation dated January 8, 1998 was issued by the RoC to reflect the change in name. Pursuant to an amendment to the Companies Act, 1956, our Company was deemed public under Section 43A (1A) of the Companies Act, 1956 with effect from July 1, 1998. Consequently, the word 'Private' was deleted from the name of our Company and the name was changed to "DEE Development Engineers Limited" pursuant to a Board resolution dated June 1, 1998. Thereafter, our Company was converted into a private limited company pursuant to an amendment to Section 43A (1A) in Companies Act, 1956 by Section 43A (2A) of the Companies Amendment Act, 2000 with effect from July 16, 2004 and the name was changed to "DEE Development Engineers Private Limited" pursuant to a Board resolution dated July 16, 2004. The name of our Company was changed to 'DEE Development Engineers Limited' upon conversion to a public limited company pursuant to a Board resolution dated December 29, 2009 and a resolution passed in the extra-ordinary general meeting of the Shareholders held on January 18, 2010 and consequently a fresh certificate of incorporation dated March 11, 2010, was issued by the RoC. For further details, see "*History and Certain Corporate Matters – Brief History of our Company*" on page 226 of the Draft Red Herring Prospectus dated September 28, 2023 ("**DRHP**") filed with the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**") and the Stock Exchanges on September 28, 2023.

Registered and Corporate Office: Unit 1, Prithla-Tatarpur Road, Village Tatarpur, Dist. Palwal, Faridabad, Haryana – 121102, India
Contact Person: Ranjan Kumar Sarangi, Company Secretary and Compliance Officer; **Tel:** +91 1275 248345
E-mail: secretarial@deepiping.com; **Website:** www.deepiping.com; **Corporate Identity Number:** U74140HR1988PLC030225

OUR PROMOTER: KRISHAN LALIT BANSAL

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF DEE DEVELOPMENT ENGINEERS LIMITED ("OUR COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE ("OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION (THE "OFFER"). THE OFFER COMPRISES OF A FRESH ISSUE OF UPTO [●] EQUITY SHARES BY OUR COMPANY AGGREGATING UPTO ₹3,250.00 MILLION (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 7,900,000 EQUITY SHARES (THE "OFFERED SHARES") BY KRISHAN LALIT BANSAL ("SELLING SHAREHOLDER") AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION (THE "OFFER FOR SALE"). THE OFFER SHALL CONSTITUTE [●] % OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 10 EACH AND THE OFFER PRICE IS [●] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT SIZE WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY AND THE SELLING SHAREHOLDER, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS AND WILL BE ADVERTISED IN [●] EDITIONS OF THE [●], AN ENGLISH LANGUAGE NATIONAL DAILY NEWSPAPER WITH WIDE CIRCULATION, AND [●] EDITIONS OF [●], A HINDI LANGUAGE NATIONAL DAILY NEWSPAPER WITH WIDE CIRCULATION (HINDI ALSO BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF HARYANA WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), AT LEAST 2 WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE STOCK EXCHANGES FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES, IN ACCORDANCE WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED (THE "SEBI ICDR REGULATIONS").

OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS, MAY CONSIDER A PRE-IPO PLACEMENT ("PRE-IPO PLACEMENT") OF UP TO [●] SPECIFIED SECURITIES AGGREGATING UP TO ₹ 650.00 MILLION, PRIOR TO FILING OF THE RED HERRING PROSPECTUS WITH THE ROC. THE PRE-IPO PLACEMENT SHALL BE UNDERTAKEN AT THE DISCRETION OF OUR COMPANY AND THE PRICE OF THE EQUITY SHARES ALLOTTED PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT SHALL BE DETERMINED BY OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS. IF THE PRE-IPO PLACEMENT IS COMPLETED, THE FRESH ISSUE SIZE WILL BE REDUCED TO THE EXTENT OF SUCH PRE-IPO PLACEMENT, SUBJECT TO THE OFFER COMPLYING WITH THE MINIMUM ISSUE SIZE REQUIREMENTS PRESCRIBED UNDER REGULATION 19(2)(B) OF THE SCRR. THE PRE-IPO PLACEMENT SHALL NOT EXCEED 20% OF THE SIZE OF THE FRESH ISSUE.

In case of any revision in the Price Band, the Bid/ Offer Period shall be extended for at least three additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the total Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company and the Selling Shareholder, in consultation with the BRLMs, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid / Offer Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band, and the revised Bid/ Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges by issuing a public notice and also by indicating the change on the respective websites of the BRLMs and at the terminals of the members of the Syndicate and by intimation to Designated Intermediaries and Sponsor Bank(s), as applicable.

The Offer is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended (the "**SCRR**"), read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations. The Offer is being made in accordance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations, through the Book Building Process wherein not more than 50% of the Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**") (such portion referred to as "**QIB Portion**"), provided that our Company and the Selling Shareholder, in consultation with the BRLMs may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations (the "**Anchor Investor Portion**"), out of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds only, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the price at which allocation is made to Anchor Investors ("**Anchor Investor Allocation Price**"), in accordance with the SEBI ICDR Regulations. In the event of under-subscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion (excluding the Anchor Investor Portion) (the "**Net QIB Portion**"). Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders (other than Anchor Investors), including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to all QIBs. Further, not less than 15% of the Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Investors out of which (a) one-third of such portion shall be reserved for applicants with application size of more than ₹200,000 and up to ₹1,000,000; and (b) two third of such portion shall be reserved for applicants with application size of more than ₹1,000,000, provided that the unsubscribed portion in either of such sub-categories may be allocated to applicants in the other sub-category of Non-Institutional Investors and not less than 35% of the Offer shall be available for allocation to Retail Individual Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily use the Application Supported by Blocked Amount ("**ASBA**") process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID in case of UPI Bidders, if applicable, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or by the Sponsor Bank(s) under the UPI Mechanism, as applicable, to the extent of the respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Offer through the ASBA process. For further details, see '*Offer Procedure*' on page 418 of the DRHP.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares pursuant to the Offer and has filed the DRHP with the SEBI on September 28, 2023. Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made public for comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of such filing by hosting it on the website of the Company at www.deepiping.com, website of the SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and the websites of the Book Running Lead Managers ("**BRLMs**"), i.e. SBI Capital Markets Limited and Equirus Capital Private Limited at www.sbicaps.com and www.equirus.com, respectively. Our Company hereby invites members of the public to give their comments on the DRHP filed with SEBI, with respect to disclosures made in the DRHP. The public is requested to send a copy of their comments to SEBI, the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLMs at their respective addresses mentioned herein. All comments must be received by SEBI and/or our Company and/or the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLMs at their respective addresses mentioned below on or before 5.00 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of filing of the DRHP with SEBI.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to "*Risk Factors*" on page 27 the DRHP.

Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be taken after the Red Herring Prospectus ("**RHP**") has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such RHP as there may be material changes in the RHP from the DRHP. The Equity Shares, when offered through the RHP, are proposed to be listed on the Stock Exchanges.

For details of the share capital, capital structure of our Company, the names of the signatories to the Memorandum of Association and the number of shares of our Company subscribed by them, please see the section titled '*Capital Structure*' beginning on page 90 of the DRHP. The liability of members of our Company is limited. For details of the main objects of our Company as contained in the Memorandum of Association, please see the section titled '*History and Certain Corporate Matters*' on page 226 of the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS		REGISTRAR TO THE OFFER
SBICAPS Complete Investment Banking Solutions	equirus	LINK Intime
SBI Capital Markets Limited 1501, 15th Floor, A & B Wing, Parinee Crescenzo, G Block,Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051, Maharashtra, India **Tel.:** +91 22 4006 9807 **E-mail :** dee.ipo@sbicaps.com **Website:** www.sbicaps.com **Investor grievance e-mail:** investor.relations@sbicaps.com **Contact Person:** Janardhan Wagle/ Ayush Goyal **SEBI Registration Number:** INM000003531	**Equirus Capital Private Limited** 12th Floor, C Wing, Marathon Futurex, N.M. Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai – 400013 Maharashtra, India **Tel.:** +91 22 4332 0732 **E-mail:** dee.ipo@equirus.com **Website:** www.equirus.com **Investor grievance e-mail:** investorsgrievance@equirus.com **Contact person:** Ankesh Jain/Jenny Bagrecha **SEBI Registration Number:** INM000011286	**Link Intime India Private Limited** C 101, 1st Floor, 247 Park Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West) Maharashtra, India 400083 **Tel:** +91-8108114949 **E-mail:** dde.ipo@linkintime.co.in **Website:** www.linkintime.co.in **Investor grievance e-mail:** dde.ipo@linkintime.co.in **Contact person:** Shanti Gopalkrishnan **SEBI Registration No.:** INR000004058

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For **DEE DEVELOPMENT ENGINEERS LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Ranjan Kumar Sarangi
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Palwal, Haryana
Date: September 29, 2023

DEE DEVELOPMENT ENGINEERS LIMITED is proposing, subject to, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the DRHP dated September 28, 2023 with SEBI. The DRHP shall be available on the website of the Company at www.deepiping.com, SEBI at www.sebi.gov.in, as well as on the websites of the BRLMs, i.e. SBI Capital Markets Limited and Equirus Capital Private Limited at www.sbicaps.com and www.equirus.com and the websites of National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at www.nseindia.com and www.bseindia.com, respectively. Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, please see "*Risk Factors*" of the RHP, when available. Potential investors should not rely on the DRHP for making any investment decision. Specific attention of the investors is invited to "*Risk Factors*" beginning on page 27 of the DRHP.

The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold outside the United States in' offshore transactions' in reliance on Regulation S under the Securities Act and the applicable laws of the jurisdictions where such offers and sales are made. The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be offered or sold, and Bids may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.

Adfactors